DETAILS OF LAND LEFT FOR COMMON FACILITY

610. SH. NEERAJ SHARMA, M.L.A..: Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that 3.30 acreage of land has been left by HSVP in village JharSaintly, Sector-59, Faridabad for the common facility;

b) Whether approximately 1.39 acreage of land had been allotted by the Government for Barat Ghar (Marriage Palace) out of the above said land; and

c) Whether any park has been developed on the remaining land together with the name of the department by whom the open gym has been built in the said park together with the amount incurred on the open gym?

<u>REPLY</u>

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Sir,

(a) As per initial approved layout plan of Sector-59, Faridabad bearing Drg. No. DTP (F)1879/98 dated 18.02.1998, a site of 4.0 acres land was approved for Common Facilities adjoining the site reserved for Water Works. As per latest approved plan, planning of this site has been revised and site of 66 KV Sub Station (2.0 acre) and Barat Ghar (1.39 acre) has been approved and remaining 0.61 acre area has been merged in the Water Works site.

(b) No.

(c) No Park or Open Gym has been developed by HSVP on the land proposed for Barat Ghar area measuring 1.39 acre in Sector-59, Faridabad. However, a Park has been constructed/maintained on the site of 66 KV Electric Sub Station in said sector by local residents without any approval of HSVP.

सामान्य सुविधा के लिए छोडी गई भूमि का ब्यौरा

610. श्री नीरज शर्मा, एम०एल०ए० : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम झाड़सैंतली सैक्टर–59, फरीदाबाद में 3.30 एकड़ भूमि सामान्य सुविधा के लिए छोड दी गई है;

(ख) क्या उपरोक्त भूमि से बाहर बारात घर (विवाह स्थल) के लिए सरकार द्वारा 1.39 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी; तथा

(ग) क्या शेष भूमि पर कोई पार्क विकसित किया गया है तथा उक्त पार्क में खुली व्यायामशाला खोलने वाले विभाग का नाम क्या है तथा खुली व्यायामशाला पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा ।

श्रीमान्,

क) सैक्टर–59 के प्रारम्भिक अनुमोदित लेआउट प्लान ड्राईंग नं. डीटीपी(फ)/1879/98 दिनांक 18–02–1998, में जलघर के साथ लगती एक 4.0 एकड़ की साईट सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित की गई थी। परन्तु नवीनतम अनुमोदित प्लान में यह स्थल 66 के.वी. सब–स्टेशन (2.0 एकड़) और बारात घर (1.39 एकड़) के लिए प्रस्तावित की गई हैं एवं इसका कुछ भाग (0.61 एकड़) जलघर में मिला दिया गया है।

ख) नहीं

ग) सेक्टर–59 फरीदाबाद में कोई पार्क या खुली व्यायामशाला बारात घर के लिए प्रस्तावित 1.39 एकड़ भूमि में विकसित नहीं की गई है। तथापि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना स्थानीय निवासियों द्वारा उक्त सेक्टर में 66 केवी इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन की साइट पर एक पार्क का निर्माण/रखरखाव किया गया है।